विषय : 1-1-85 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई प्रशासकीय सचिवों की बैठक में लिये गये निर्णयों बारे ।

क्या सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव/विशेष सचिव, हरियाणा सरकार उपरोक्त विषय पर इस विभाग के अशा0 क्र0 4/1/85-6 ए0 आर0 दिनांक 4-1-85 तथा स्मरण पत्र दिनांक 29-3-85, 17/19-9-85 व 14-1-87 की ओर ध्यान देंगे ।

2. उपरोक्त मीटिंग में अन्य निर्णयों के अलावा निम्नलिखित निर्णय भी लिया गया था :—

"each Administrative Secretary will inspect the branches under him/her once in three months and each branch officer will inspect them once in a month. The reports of inspections should be sent to the Chief Secretary (in the Administrative Reforms Branch.)"

उक्त निर्णय के अनुसार प्रत्येक प्रशासकीय सचिव ने अपने अधीन शाखाओं का निरीक्षण तीन मास में एक बार और प्रत्येक शाखा अधिकारी ने अपने अधीन शाखा का निरीक्षण मास में एक बार अवश्य करना होता है तथा उस की रिपोर्ट वित्तायुक्त एवं सचिव, प्रशासकीय सुधार विभाग को भेजनी होती है । परन्तु यह देखा गया है कि ये रिपोर्ट इस विभाग में लगातार नियमानुसार प्राप्त नहीं हो रही हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त निर्णय की दृढ़ता से पालना नहीं की जा रही है । अतः उन से पुनः अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में अपने अधीन शाखाओं का नियमानुसार निरीक्षण करें तथा निरीक्षण रिपोर्ट की एक एक प्रति इस विभाग को भी अवश्य भेजी जाया करे ।

हस्ता:

अवर सचिव, प्रशासकीय सुधार,
कृते वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव/विशेष सचिव,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।

अशा0 क्र0 4/2/87-6 ए0 आर0 दिनांक 21-9-87